ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00031

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 13/2019

1. करनी पुत्र बन्सी जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. रामकुमार पुत्र बन्सी जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. रोशनी पुत्री बंसीलाल जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. शिमला पुत्री बंसीलाल जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. संतो पुत्री बंसीलाल जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. रामप्यारी दूसरी पत्नी बंसीलाल जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. शारदा देवी पत्नी माडूराम जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलदीप राम पुत्र माडूराम जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. संदीप कुमार पुत्र माडूराम जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. कृष्ण पुत्र बंसी जाति बिश्नोई निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 888/27.02.2019 तहसीलदार भू-अभिलेख सादुलशहर जिसकी रूह से बिना अपीलांट को सुने व बिना कानूनी प्रकिया अपनाये अपीलांटस की भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम करने का आदेश पारित किया गया बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री फलभूर सिंह बराड़ अधिवक्ता

:: आदेश ::

दिनांक :-29.11.2024

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि स्व. माडूराम पुत्र बंसीराम ने जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है के द्वारा अपने जीवनकाल में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में एक दावा चक 1 बी.एन. डब्ल्यू के खाता संख्या 42/45 के 4 बीघा 10 बिस्वा के सम्बन्ध में धारा 188–188 आरटीएक्ट इस कथन के साथ पेश किया कि उसके पिता स्व. बंसीराम को हिन्द पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से चक 1 बी.एन.डब्ल्यू की 14 बीघा व चक 1 बीजीएस की 12 बीघा भूमि जीवों के आधार पर अलाट की गई, जिसमें प्रत्येक का 4 बीघा 10 बिस्वा होने से स्व0 बंसीराम का 4 बीघा 10 बिस्वा बना। बंसीराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीया की , पहली पत्नी सरवतीसे वादी माडूराम व प्रति0 सख्या 7 कृष्ण उत्पन्न हुए तथा दूसरी शादी रामप्यारी से की, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उत्पन्न हुए। बंसी पुत्र गणेश ने अपने जीवनकाल में अपनी 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि विभाजन में दिनांक 21.07. 1974 को अपनी पत्नी सरस्वती व अपने पुत्रों माडू व कृष्ण को दे दी, जिसकी लिखित भी की गई थी तथा कब्जा उसका व कृष्ण का चला आ रहा है। अतः उपरोक्त भूमि का उनको खातेदार घोषित कर बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावें। इस पर अपीलांट ने पेश होकर जवाब दावा पेश करते हुए काउंटर क्लेम पेश किया कि उपरोक्त भूमि में से 3 बीघा 10 बिस्वा बंसीराम ने उनको दी व कब्जा दे दिया तब से काबिज चले आ रहे है तथा एक बीघा बंसीराम के जीवन काल में उसके कब्जा में चली आयी। अतः उनको 4 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावें, दौराने दावा माडूराम का देहांत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को प्रतिस्थापित किया गया। दावा में तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन कर निर्णय ना करते हुए गलत तौर से दावा को डिक्री करने का आदेश दिया गया जिस यपर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये केवलमात्र 7 दिनों में ही इंतकाल जेर अपील पारित कर दिया गया जिसके खिलाफ यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है:–

1. यह कि इंतकाल जेर अपील जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है, गलत खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात होने से निरस्तनीय है।
2. यह कि उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दावा संख्या 61/2002 का निर्णय व डिक्री गलत तौर से पारित किये है जिनके खिलाफ अपील सक्षम न्यायालय में पेश की जा चुकी है जो कि विचाराधीन है।
3. यह कि इंतकाल करने से पूर्व अपीलांटस जो कि दावा में भी पक्षकार थे तथा काउंटर क्लेम भी पेश किया हुआ था, हर प्रकार से प्रभावित पक्षकार थे मगर ना तो उनको कोई नोटिस दिया गया, ना ही बुलाया , ना सुना गया, ना कानूनी प्रक्रिया अपनायी गई, बल्कि केवल 7 दिन में ही इंतकाल तस्दीक कर दिया गया जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार इंतकाल के लिए आवेदन–पत्र पेश होने पर अथवा न्यायालय के द्वारा लिखने पर भी सर्वप्रथम प्रभावितों को नोटिस जारी कर आपत्ति पेश करने का अवसर देना अथवा नोटिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा किसी दैनिक समाचार–पत्र में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाना आवश्यक होता है जिससे कि प्रभावित व्यक्ति पेश होकर आपत्ति कर सकें तथा उनको सुनकर इंतकाल का आदेश दिया जाना व उसके उपरांत पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज करने पर ही तस्दीक किया जा सकता है मगर इस प्रकार की कोई

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Record File

प्रक्रिया नहीं अपनायी गई, इस प्रकार ना तो इंतकाल नियमों की पालना की गई, ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई , ना कब्जा की जांच की गई।

4. यह कि इस प्रकार केवल 7 रोज में इंतकाल तस्दीक करना अपने आप में ही यह स्पष्ट करता है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के प्रभाव में आकर व मिलीभगत कर इंतकाल किया गया है। अतः इंतकाल निरस्तनीय है।

5. यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगें जिनके आधार पर अपील अपीलांटस काबिल मंजूरी के है।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि स्व. माडूराम पुत्र बंसीराम ने जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 है के द्वारा अपने जीवनकाल में उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में एक दावा चक 1 बी.एन.डब्ल्यू. के खाता संख्या 42/45 के 4 बीघा 10 बिस्वा के सम्बन्ध में धारा 188–188 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया कि उसके पिता स्व. बंसीराम को हिन्द पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से चक 1 बी.एन.डब्ल्यू की 14 बीघा व चक 1 बीजीएस की 12 बीघा भूमि जीवों के आधार पर अलाट हुई थी। जिसमें प्रत्येक का 4 बीघा 10 बिस्वा होने से स्व0 बंसीराम का 4 बीघा 10 बिस्वा बनता था। बंसीराम ने अपने जीवनकाल में दो शादीया की , पहली पत्नी सरवती से वादी माडूराम व प्रति0 सख्या 7 कृष्ण उत्पन्न हुए तथा दूसरी शादी रामप्यारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उत्पन्न हुए। बंसी पुत्र गणेश ने अपने जीवनकाल में अपनी 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि विभाजन में दिनांक 21.07.1974 को अपनी पत्नी सरस्वती व अपने पुत्रों माडू व कृष्ण को दी, जिसकी लिखित भी की गई थी । इंतकाल करने से पूर्व अपीलांटस जो कि दावा में भी पक्षकार थे तथा काउंटर क्लेम भी पेश किया हुआ था, हर प्रकार से प्रभावित पक्षकार थे मगर ना तो उनको कोई नोटिस दिया गया, ना ही बुलाया , ना सुना गया, ना कानूनी प्रक्रिया अपनायी गई, बल्कि केवल 7 दिन में ही इंतकाल तस्दीक कर दिया गया जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार इंतकाल के लिए आवेदन–पत्र पेश होने पर अथवा न्यायालय के द्वारा लिखने पर भी सर्वप्रथम प्रभावितों को नोटिस जारी कर आपत्ति पेश करने का अवसर देना अथवा नोटिस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा किसी दैनिक समाचार–पत्र में आपत्ति सूचना प्रकाशित करवाना आवश्यक होता है जिससे कि प्रभावित व्यक्ति पेश होकर आपत्ति कर सकें। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर द्वारा इन्तकाल तस्दीक करते समय लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई , ना कब्जा की जांच की गई। केवल 7 रोज में इंतकाल तस्दीक करना अपने आप में ही यह स्पष्ट करता है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के प्रभाव में आकर व

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

मिलीभगत कर इंतकाल किया गया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित इंतकाल संख्या 888 दिनांक 27.02.2019 उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के प्रकरण संख्या 61/2002 निर्णय दिनांक 20.02.2019 के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 20.02.2019 की अपील राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील संख्या 41/2019 अनवानी करनी वगैरा बनाम शारदा देवी की गई। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.12.2020 द्वारा अपीलांट की अपील अस्वीकार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 20.02.2019 की पालना में दर्ज किया गया जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय का नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया है न कि स्वयं के स्तर पर। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित इंतकाल माननीय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2019 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के निर्णय दिनांक 20.02.2019 की अपील भी राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के अपील संख्या 41/2019 अनवानी करनी वगैरा बनाम शारदा देवी की गई। राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.12.2020 द्वारा अपीलांट की अपील अस्वीकार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा इन्तकाल संख्या 888 दिनांक 27.02.2019 जो स्वीकृत किया गया वह विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है क्योंकि तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश दिनांक 20.02.2019 की पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलाहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर